तथा वाणिज्य, उनके उत्पादन, प्रदाय और वितरण के विनियमन के लिए और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना समीचीन है।''

The question was put and the motion was adopted.

Preamble, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदया, मैं प्रस्ताव करती हूं कि संशोधित रूप में विधेयक पारित किया जाए।

The question was put and the motion was adopted.

STATEMENT BY MINISTER

Outbreak of Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) in some countries and the steps taken by Government of India

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश): उपसभापति महोदया, संसदीय इतिहास में इतने ज्यादा संशोधन आए हैं कि मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं आज से संशोधन मंत्री के रूप में भी जानी जाएं।

उपसभापति: मैं तो यह कहूंगी कि मेरे गले के लिए कोई दवा भेज दें। Now there is a statement.

स्टेटमेंट आप करेंगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): अगर सदन तैयार हो तो मैं तैयार हूं।

उपसभापति: ऐसा कीजिए कि आप स्टेटमेंट सदन के पटल पर रख दीजिए। आपने तो सब कार्रवाई कर ही ली है। उस पर हम लोगों को संतोष है। संतोष बागड़ोदिया जी को भी संतोष हो जाए तो ठीक है।

श्री संतोष बागड़ोदिया (राजस्थान): अगर स्टेटमेंट ठीक होगी।

उपसभापति: हो जाएगा। अच्छा ही होगा। इतना अच्छा बिल आया है वह तो बँटवा दीजिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैडम, रखूं क्या?

श्री सुरेश पचौरी: मैडम, चाहें तो ये सदन के पटल पर रख दें। क्लैरिफिकेशन्स हम कल पूछ लेंगे या कल रख दें, क्योंकि यह बहुत इम्पोर्टेंट है।

उपसभापति: आप रखवा लीजिए। आप आराम से पढ़ लीजिए। उसके बाद आप कल पूछ लीजिए। दो ही नाम आए हैं। शायद हो सकता है कि किसी और का भी आ जाए।

श्री सुरेश पचौरी: क्लैरिफिकेशन्स कल हो जाएगी।

उपसभापति: सदन के पटल पर आप एक स्टेटमेंट रख दीजिए। Now, there is a statement to be made on SARS.

श्रीमती सुषमा स्वराज: उपसभापति महोदया, मैं गंभीर तीव्र श्वसनी लक्षण (सार्स) के वैश्विक प्रकोप तथा इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में माननीय सदस्यों को संक्षिप्त ब्यौरा देना चाहूंगी।

गंभीर तीव्र श्वसनी लक्षण (सार्स) कुछ देशों में महामारी के रूप में सामने आया है। 7 अप्रैल, 2003 तक की स्थिति के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 17 देशों से कुल 2601 रोगियों और इससे हुई 98 मौतों की सूचना दी गई है। अब तक (8 अप्रैल, 2003 तक) भारत से किसी रोगी की सूचना नहीं मिली है। तथापि, देश में इस रोग के प्रवेश को रोकने तथा यदि किसी रोगी की सूचना मिलती है तो उसे पृथक करके उसका उपचार करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं। यह संक्रमण बिन्दुकों/ऐरोसोल के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों में फैल रहा है जो रोगियों के निकट संपर्क में आते हैं, विशेषकर स्वास्थ्य परिचर्या कर्मी और परिवार के सदस्य। यह भी संभव है कि गंभीर तीव्र श्वसनी लक्षण (सार्स) अन्य अज्ञात माध्यमों से संचरित हो रहा हो।

एक बार कोई व्यक्ति इस संक्रमण की चपेट में आ जाता है तो रुग्णता विकसित होने में 2—10 दिन (उदभवन काल) लग सकते हैं। गंभीर तीव्र श्वसनी लक्षण (सार्स) के मुख्य लक्षण तीव्र ज्वर (38 डिग्री सेल्सियस अथवा 100.4 फारेनहाइट से ज्यादा), सूखी खांसी, सांस रुकना अथवा सांस लेने में कठिनाई होना है एक्स-रे में परिवर्तन दिखाई दे सकते हैं जो न्यूमोनिया होने का संकेत देते हैं। 10 से 20 प्रतिशत मामलों में रोग इतना गंभीर हो सकता है कि वैन्टिलेटर की सहायता की जरूरत पड़े। इस रोग संबंधी मृत्यु दर लगभग 3 प्रतिशत है।

गंभीर तीव्र श्वसनी लक्षण (सार्स) के उपचार के लिए कोई वैक्सीन अथवा विशिष्ट औषध उपलब्ध नहीं है। वैसे, बहुत से मामलों में सहायक उपचार प्रभावी पाया गया है। सार्स के सभी संदिग्ध अथवा संभावित मामलों में रोगी को पृथक रख कर प्रतिनिधि परिचर्या के साथ ही इलाज किया जाना चाहिए और स्वास्थ्य परिचर्या कर्मचारियों द्वारा व्यापक सावधानियां बरती जानी चाहिए ताकि इस रोग को आगे फैलने से रोका जा सके।

मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहूंगी कि सरकार ने इस रोग के प्रवेश को रोकने तथा यदि किसी रोगी की सूचना मिली तो उसे पृथक करने तथा उसका उपचार करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं। की गई कार्रवाई इस प्रकार है:–

- विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संस्तुत, रोगी परिभाषा भारत के लिए अपनाई गई तथा इसे सभी विमान पत्तन स्वास्थ्य संगठनों/पोतपत्तन स्वास्थ्य संगठनों, केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों, नागर विमानन मंत्रालय/भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्वास्थ्य प्राधिकारियों को रोगी प्रबंधन नयाचारों के साथ परिचालित किया गया।

- राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान को किसी भी संदिग्ध रोगियों/प्रकोप की जांच करने के लिए शीर्ष एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। एक नियंत्रण कक्ष चौबीसों घंटे कार्य कर रहा है।

- भारत में आने वाले सभी व्यक्तियों की सार्स के संदिग्ध/संभावित रोगियों के लक्षणों के संबंध में जांच करने के लिए एक प्रपत्र तैयार करके उसे आप्रवासन ब्यूरो को सौंप दिया गया है।

- अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों और पोत पत्तनों पर अतिरिक्त डाक्टरों को तैनात करके तथा एक मानक संचालक नयाचार तैयार करके स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं को सुदृढ़ बनाया गया है। स्वास्थ्य कर्मचारी भारत में आने वाली सभी उड़ानों और समुद्री जहाजों के यात्रियों की जांच-पड़ताल कर रहे हैं ताकि किसी भी संदिग्ध मामले की सूचना दी जा सके तथा आगे और उचित कार्रवाई की जा सके।

- राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, पुणे को किसी भी संदिग्ध/संभावित रोगी की प्रयोगशाला जांच करने के लिए नोडल अभिकरणों के रूप में नामजद किया गया है।

- गंभीर तीव्र श्वसनी लक्षणों (सार्स) के लिए रोगी को पृथक करके उसका उपचार करने की व्यवस्था सभी केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों और अन्य संक्रामक रोग अस्पतालों में की गई है।

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने संबंधित मामलों और विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ समन्वयक बैठकें की हैं।

- भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने सार्स के कारक वाइरसों के निदान के लिए रिएजेन्ट तैयार करने के लिए अपेक्षित प्राइमर प्राप्त कर लिए हैं।

- सार्स को देश में आने से रोकने और सार्वजनिक जागरुकता उत्पन्न करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में प्रचार-माध्यमों को अवगत रखा जा रहा है।

- प्रचार-माध्यमों में सूचित दो मामलों में से एक श्री पुरुषोत्तम, 18 वर्ष, पुरुष, जिसे चिरायु अस्पताल, भोपाल में दाखिल किया गया था, की जांच की जा चुकी है और यह मामला सार्स का नहीं पाया गया।

- दूसरे मामले में एक अमेरिकी नागरिक सुश्री रिबैका रेलिव्ह, 23 वर्ष, महिला, जिसने प्रभावित देशों में यात्रा की थी, 7-8-2003 को मुम्बई स्थित कस्तूरबा संक्रामक रोग अस्पताल में ज्वर और खांसी की शिकायतों पर दाखिल कराया गया था। इस रोगी की सामान्य स्थिति में सुधार हो रहा है। इस मामले की छानबीन राष्ट्रीय वाइरस विज्ञान संस्थान, पुणे द्वारा की जा रही है और शीघ्र ही प्राथमिक परिणाम आने की संभावना है।

स्थिति की दिन-प्रतिदिन के आधार पर मानिटरिंग की जा रही है

THE DEPUTY CHAIRMAN: Correct. Very good. It is absolutely correct that you have laid it on the Table of the House. Let the hon. Members read it. It is a serious matter. If they still have some doubts, they can seek clarifications. Thank you very much. The House stands adjourned till eleven of the clock tomorrow.

The House then adjourned at twenty-five minutes past five of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 10th April, 2003.

MGIPMRND—1149RS—14.1.2004.